यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी के माह 05/2012 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.09.2017 से 20.09.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, कोटद्वार, पौडी

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-					-	-
2013-14	-	-	205.03	193.56	5.73	5.31	-	-
2014-15	-	-	331.5	288.23	8.98	8.42	-	-
2015-16	-	-	331.50	301.89	16.93	15.16	-	-
2016-17	-	-	371.95	292.12	16.35	16.2	-	-
2017-18 (08/17 तक)	-	-	322.77	132.99	16.42	2.44	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण :-शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 06/2014, 02/2016 एवं **03/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।/

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः1- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न होने के कारण अनियमित व्यय रू 11,13,300।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के (आपदा प्रबंधन अनुभाग) शासनादेश संख्या 32-7/2014-NDM-I दि0 08.04.2015 जो कि 01/04/2015 से प्रभावी है के अनुसार दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त भवन के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा होना आवश्यक है, जो कि 01-04-2015 से प्रभावी है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 09 लाभार्थी को 11.23 लाख की धनराशि तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों हेतु वितरित की गयी, किन्तु उपरोक्त सभी प्रकरणों में भवन के अधिकृत रूप से निर्मित होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र/सत्यापन संलग्न नहीं था। जो कि शासनादेश के निर्देशों के विरूद्ध था, एवं इस प्रकार रू 11.23 लाख का आर.के. द्वारा गलत संस्तुति किये जाने के कारण अनियमित वितरण किया गया।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-02 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 28.22 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 28.22 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2014-15 तक	362682
2015-16 तक	955570
2016-17 तक	2822275

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि आर.सी. के विरुद्ध वसूली निरन्तर प्रक्रिया है, अवशेष वसूली पूर्ण कर तद्नुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री सी0 रविशंकर	उपजिलाधिकारी	25.04.2012	15.05.2012
2.	श्री पी0एल0 शाह	उपजिलाधिकारी	15.05.2012	07.06.2012
3.	श्री अनिल गब्र्याल	उपजिलाधिकारी	07.06.2012	11.07.2013
4.	श्री पूरण सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	11.07.2013	12.08.2014
5.	श्री अनिल गब्र्याल	उपजिलाधिकारी	12.08.2014	02.09.2014
6.	श्री गोपाल राम विनवाल	उपजिलाधिकारी	03.09.2014	27.09.2016
7.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	28.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, पौडी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र